न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी :- श्री सन्दीप चौधरी RAS
अनुवान लादूराम आदि बनाम केशरमल आदि

वाद संख्या 60 वर्ष 2023

निर्णय दिनांक:- 06.02.24

1. लादूराम पुत्र कुशलाराम जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
2. सोहनलाल पुत्र कुशलाराम जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. केशरमल पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
2. कासीराम पुत्र रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
3. गजानन्द पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
4. मनीराम पुत्र रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
5. मीरा पुत्री रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
6. रतनी पुत्री रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
7. रामलाल पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
8. लीला पुत्री रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
9. शंकरलाल पुत्र रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
10. शीला पुत्री रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
11. हरिप्रसाद पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
12. कुरडी पुत्री कुशलाराम जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
13. रुकमानन्द पुत्र तेजाराम का रामा पुत्रही कुशलाराम जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
14. महेन्द्र पुत्र सरस्वती पुत्री भूरी पत्नी रूकमानन्द निवासी सात्युं हाल जिगासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
15. मंजू पुत्री सरस्वती पुत्री भूरी पत्नी रूकमानन्द निवासी सात्युं हाल बांय तहसील तारानगर जिला चूरू
16. गिरधारीसिंह पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी ढाणा पट्टा सात्युं तहसील तारानगर (चूरू)
17. राजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी ढाणा पट्टा सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
18. रामचन्द्र पुत्र सुगनाराम जाति जाट निवासी ढाणा पट्टा सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

20 मैनेजर राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 88, 53 राज का अधिनियम

उपस्थिति :-

1. श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री योगेश स्वामी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 15
3. श्री गजराजसिंह एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 16 ता 18
4. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी 19

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

-: निर्णय:-

वादी द्वारा प्रस्तुत की दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषिभूमि खेत खसरा नं. 243 तादादी 1.9979 हेक्टेयर, खसरा नं. 245 तादादी 3.2498 हेक्टेयर, खसरा नं. 246 तादादी 2.8325 हेक्टेयर रोही मौजा ढाणा पट्टा सात्युं तहसील तारानगर व खसरा नं. 785 तादादी 06. 6386 हेक्टेयर, खसरा नं. 786 तादादी 6.4742 हेक्टेयर कुल तादादी 13.1128 हेक्टेयर रोही मौजा सात्युं तहसील तारानगर में है यही विवादित कृषिभूमि है।

कृषि भूमि रोही मौजा सात्यूं में वादीगण 1/6, 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। रोही ढाणा पट्टा सात्यूं में वादीगण कुरड़ी एवं रामा प्रतिवादीगण का पारिवारिक बंटवारा हो गया था। पारिवारिक बंटवारानामा के अनुसार दोनों बहनों ने वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया था। इसे वादीगण ही काश्त करते है। कुरड़ी एवं रामा का विवादित कृषिभूमि में कोई हक एवं हिस्सा नहीं रहा। राजस्व रिकार्ड में कुरडी एवं रामा दोनों का 1/24, 1/ 24 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादीनी रामा व कुरडी का कोई हक हिस्सा नहीं है। दोनों वादीगण 1/12, 1/12 हिस्से के खातेदार है। राजस्व रिकार्ड में नाम होने से वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस कारण वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा कराकर खाता दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इस कारण वादीगण को यह घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। विवादित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामिलाती कृषिभूमि है इस कारण काश्त के समय मन मुटाव रहता है इस कारण वादीगण अपने हक एवं हिस्से का खाता अलग करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व कहलवाया कि अपने अपने हक एवं हिस्से के मुताबिक खाता दुरूस्त कराकर विभाजन करवा लेवें। प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे आखिर दिनांक 20.03.2023 को ऐसा करने से साफ इंकार हो गये। लिहाजा यहीं तारीख बिनाय मुखास्मत वाद है। आदि–आदि

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

इस प्रकार वादीगण ने दावा पेश कर विवादित कृषिभूमि रोही मौजा ढाणा पट्टा सात्यूं में 1/12, 1/12 हिस्से के खातेदार घोषित कर उक्त भूमि व ग्राम सात्यूं की भूमि का खाता विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

दावा प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 का वकालतनामा पेश हुआ। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 7, 9 ने स्वंय तथा प्रतिवादी संख्या 11 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष द्वारा सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 10, 12 ता 15 की तरफ से इकबालदावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 17, 18 ने स्वयं उपस्थित आकर तथा प्रतिवादी संख्या 16 ने जरिये वकील एक प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि उन्हे राजीनामा स्वीकार हैं। राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा डिक्री करने में आपति नहीं है लेकिन हमारा खाता संयुक्त रखा जावें, हम विभाजन नहीं कराना चाहते। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्यहित नहीं होना जाहिर किया है। दावा का कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नहीं की गई। पक्षकारान के अधिवक्तागण में साक्ष्य नहीं कराये।

बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई। दोनो पक्षो ने मुताबिक राजीनामा व इकबालदावा वादपत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12, 13 स्व. कुशलाराम के पुत्र–पुत्रियां है। विवादित भूमि रोही ग्राम सात्यूं में वादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा के नाम की खातेदारी दर्ज है। इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसके हिस्सा को लेकर कोई विवाद भी नहीं है। रोही ग्राम ढाणा पट्टा सात्यूं में उक्त प्रत्येक पक्षकारान का 1/24, 1/24 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादीगण पारिवारिक बंटवारा अनुसार अपनी सगी बहिनों प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के हिस्से की भूमि मांगकर आये है। उक्त बंटवारानामा को प्रतिवादी संख्या 12 व 13 ने जरिये इकबालदावा स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में हकत्याग करना जाहिर किया है। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 10, 14, 15 ने भी इकबालदावा पेश कर अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अपने भाईयों व मामा प्रतिवादी संख्या 2, 4, 9 क्रमशः कासीराम, मनीराम, शंकरलाल के पक्ष में हकत्याग करना जाहिर किया है। अन्य पक्षकारों ने राजीनामा व प्रार्थना पत्र के जरिये दावा स्वीकार किया हैं। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्यहित नहीं होना जाहिर किया है।

वर्णित विवेचन से वाद वादीगण पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः बरूवे राजीनामा व इकबालदावा डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि खेत खसरा नं. 243 तादादी 9979

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

हैक्टेयर, खसरा नं. 245 तादादी 3.2498 हैक्टेयर, खसरा नं. 246 तादादी 2.8325 हैक्टेयर रोही मौजा ढाणा पट्टा सात्युं तहसील तारानगर व खसरा नं. 785 तादादी 06.6386 हैक्टेयर, खसरा नं. 786 तादादी 6.4742 हैक्टेयर रोही मौजा सात्युं तहसील तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 10, 12 ता 15 का कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 12, 13 कुरड़ी व रामा के हिस्से की भूमि के खातेदार वादीगण को व.हि.व. तथा प्रतिवादी संख्या 5, 6, 8, 10, 14, 15 क्रमशः मीरा, रतनी, लीला, शीला, महेन्द्र, मन्जू के हिस्से की कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 9 को व.हि.व. घोषित किया जाकर विवादित कृषि भूमि का खाता विभाजन राजीनामा के साथ प्रस्तुत नक्शा के अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है :-

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 785 मीन तादादी 02. 8577 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग हरा से दर्शाया गया है, वादी संख्या 1 लादूराम पुत्र कुशलाराम जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(2) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 785 मीन तादादी 02. 8577 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग बैंगनी से दर्शाया गया है, वादी संख्या 2 सोहनलाल पुत्र कुशलाराम जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(3) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 785 मीन तादादी 0.9232 हैक्टेयर, ख.नं. 786 मीन तादादी 0.6751 हैक्टेयर कुल तादादी 01.5983 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग पीला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 केशरमल पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(4) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 786 मीन तादादी 01. 9051 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 2 कासीराम पुत्र रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(5) कृषि भूमि रोही ग्राम ढाणा पट्टा सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 245 मीन तादादी 01.3467 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग बैगंनी से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 गजानन्द पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(6) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 786 मीन तादादी 01. 9051 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग भूरा से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 4 मनीराम पुत्र रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(7) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 786 मीन तादादी 0.0838 हैक्टेयर व रोही ग्राम ढाणा पट्टा सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू ख.नं. 245 मीन तादादी 0.6955 हैक्टेयर, ख.नं. 243 मीन तादादी 0.6512 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग सफेद से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 7 रामलाल पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(8) कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 786 मीन तादादी 01.9051 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग नीला से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 9 शंकरलाल पुत्र रूकमानन्द जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(9) कृषि भूमि रोही ग्राम ढाणा पट्टा सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 243 मीन तादादी 01.3467 हैक्टेयर जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग कॉफी से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 11 हरिप्रसाद पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण निवासी सात्युं तहसील तारानगर के हक हिस्सा में रहेगी।

(10) कृषि भूमि रोही ग्राम ढाणा पट्टा सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू के ख.नं. 246 की सम्पूर्ण तादादी 02.8325 हैक्टेयर (बरंग पीला व गुलाबी) तथा ख.नं. 245 मीन तादादी 01.2076 हैक्टेयर (बरंग पीला) अविभाजित रहेगी तथा संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 16, 17, 18 क्रमशः गिरधारीसिंह, राजेन्द्रसिंह व रामचन्द्र पुत्रगण सुगनाराम जाति जाट निवासी ढाणा पट्टा सात्युं तहसील तारानगर के हक में ब.हि.ब. रहेगी।

(11) डोटेड लाल (डबल) से दर्शाया गया है, रास्ता पक्षकारों को आवागमन हेतु रहेगा। जिन पक्षकारों की भूमि बैंक रहन हैं वह यथावत बैंक रहन रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। राजीनामा व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(सन्दीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 06.02.24 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(सन्दीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)
तारानगर (चूरू)